

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 134/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया SMECC, जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सोमनाथ ट्रेडिंग कम्पनी प्रोपराईटर भंवर लाल शर्मा पुत्र श्री घीसालाल शर्मा
दुकान नम्बर 7, प्लॉट नं. ए-2, महाराण प्रताप नगर, केशव विद्यापीठ के पास, जामडोली, जयपुर।
2. श्री भंवर लाल शर्मा पुत्र श्री घीसा लाल शर्मा 45, महावीर नगर, केशव विद्यापीठ के पास,
जामडोली जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित- बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।



आदेश

दिनांक 14-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 09.03.017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में दुकान नम्बर 7, प्लॉट नं. ए-2, महाराण प्रताप नगर, केशव विद्यापीठ के पास, जामडोली, जयपुर पर स्थित एन्टायर स्टॉक ऑफ फिनिशड गुड्सस्टोर एण्ड स्पार्स, स्टॉक इन ट्रान्सिट, सन्डे, डेबिटर्स, बुक डेबिटर्स रिसेवेबल्स एण्ड करन्ट एसेट्स इत्यादि को हाईपोथीकेटेड कर कुल रूपये 4,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमशान उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हैं। प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया गया है। धारा 13 (2) के नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से दुकान नम्बर 7, प्लॉट नं. ए-2, महाराज प्रताप नगर, केशव विद्यापीठ के पास, जामडोली, जयपुर पर स्थित एवं हाईपोथीकेटेड एन्ट्रप्राइज स्टॉक ऑफ फिनिशड गुड्सस्टोर एण्ड स्पार्स, स्टॉक इन ट्रान्जिट, सन्डे, डेबिटर्स, बुक डेबिटर्स रिसेवेबल्स एण्ड करन्ट एसेट्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल हफ्ता हो।



आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर